प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एन0एच0एम0 / मातृ स्वा0 / आउटरीच / 122 / 2016–17 / 5111-2 दिनांक– 06 09.2016

विषय– **हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार, फॉलो–अप व प्रोत्साहन धनराशि के आवंटन सम्बन्धी दिशा–निर्देश।**

महोदय / महोदया,

वर्तमान मातृ मृत्यु दर के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 14000 प्रसूताओं की मृत्यु हो रही है। जिसका मुख्य कारण प्रसूताओं की समय पर ए0एन0सी0 जांच एवं उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला का समय पर चिन्हीकरण एवं उपचार नहीं होना है। यदि प्रसूताओं को सभी ए0एन0सी0 जांचें समय पर उपलब्ध हो जायें एवं एच0आर0पी0 चिन्हित कर उनका उपचार एवं नियमित फालोअप किया जाये तो राज्य की मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। लगभग 60 प्रतिशत मौतों को मात्र हाई रिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण व पूर्व नियोजित सुरक्षित संस्थागत प्रसव से रोका जा सकता है।

1. **हाई रिस्क प्रेगनेन्सी से होने वाली मृत्यु के कारण** कई हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्न हैं:–
   - रक्त स्त्राव (एन्टी पार्टम / पोस्ट पार्टम)
   - गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप (Pre-eclampsia/eclampsia)
   - गम्भीर एनीमिया
   - पूर्व की गर्भावस्था की जटिलताएं
   - ओब्सट्रक्टेड लेबर (अटका हुआ प्रसव)
   - अन्य चिकित्सकीय बीमारियाँ जो गर्भावस्था में अनियन्त्रित हो जायें जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, टी0बी0, मलेरिया आदि।
2. **गर्भवती महिला में जटिलता के चिन्हीकरण हेतु मुख्य बिन्दु** निम्नानुसार हैं:–

जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं (HRP) की पहचान
1. पूर्व की गर्भावस्थाओं या प्रसव का इतिहास – दो या उससे अधिक बार कच्चा बच्चा गिर गया हो (एवोर्शन)। – बच्चा पेट में मर गया हो या मरा पैदा हुआ हो या तुरन्त पैदा होते ही मर गया हो। – कोई विकृत वाला बच्चा पैदा हुआ हो। – प्रसव के दौरान या बाद मे अत्याधिक खून चला हो। – पहला प्रसव बडे ऑपरेशन से हुआ हो।
2. गर्भवती को पहले से कोई बीमारी हो – हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) – शकर की बीमारी (डाईविटीज) – दिल की, गुर्दे की बीमारी – टी0बी0, मिरगी आदि – पीलिया या लिवर की बीमारी – हाईपोथायोराइड

3. **वर्तमान गर्भावस्था में** – गम्भीर एनीमिया <7gm Hb% – ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक – आडा/तिरछा/उल्टा बच्चा – चौथे महीने के बवद खून चलना – गर्भावस्था में डाईविटीज का पता चलना – HIV या WR +ve
उपर्युक्त लक्षण पाये जाने पर सामने टिक (√) लगायें।

प्रदेश में प्रसव पूर्व देखभाल एवं जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान व प्रबन्धन को संस्थापित करने के लिये मातृत्व सप्ताह संचालित किया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक गाँव में सभी गर्भवती महिलाओं को पहचान कर उनका पंजीकरण व जाँचें की जायेंगी। पूर्व के गर्भावस्थाओं/प्रसवों के इतिहास एवं वर्तमान गर्भावस्था की जाँचों के आधार पर उन्हें जटिलता वाली गर्भावस्था (HRP) चिन्हित किया जायेगा जिसके लिये उपर्युक्त तालिका **संशोधित मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पुस्तिका** में भी प्रदर्शित की गयी है। इस तालिका पर सभी ए0एन0एम0 व आशाओं को विस्तार से समझाया जाना आवश्यक है। कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में लगभग 5 से 10 प्रतिशत के एच0आर0पी0 होने की सम्भावना होती है। किसी गर्भवती महिला में उपर्युक्त कोई भी लक्षण पाये जाने पर ए0एन0एम0 **संशोधित मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर प्रदर्शित तालिका में** टिक (√) लगा देगी और कार्ड के प्रथम पृष्ठ व काउन्टर फॉइल पर HRP सील तथा लाल बिन्दी लगा देगी।

सभी एच0आर0पी0 महिलाओं का निरन्तर फालोअप, चिकित्साधिकारी द्वारा जाँच व उपचार आवश्यक है जब तक कि उनका सुरक्षित संस्थागत प्रसव न हो जाये। इस कार्य में आशा, ए0एन0एम0, चिकित्सकों सभी की अहम भूमिका है और भारत सरकार ने भी इस गतिविधि को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2016–17 में विशेष प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की है।

3. वर्ष 2016–17 में मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि का विवरण–

- **ए0एन0एम0 के लिये प्रोत्साहन धनराशि–** ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 गर्भवती महिला की जाँच एवं पूर्व के प्रसवों/गर्भावस्थाओं के इतिहास के आधार पर हाई रिस्क गर्भवती महिला को पहचान कर उसकी एम0सी0टी0एस0 पोर्टल में कॉम्लीकेटेड प्रेगनेन्सी के कॉलम में दर्ज कराने और एम0सी0पी0 कार्ड में अंकन करायेगी तो ए0एन0एम0 को **रू0–200.00 प्रति एच0आर0पी0 की प्रोत्साहन धनराशि** प्राप्त होगी।
- **आशा के लिये प्रोत्साहन धनराशि–** अपने क्षेत्र में ग्राम/शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 द्वारा किसी हाई रिस्क गर्भवती महिला का चिन्हीकरण होने पर आशा
  - उसे अपने वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर में दर्ज कर लेंगी,
  - ए0एन0एम0 दीदी से उसका एम0सी0पी0 कार्ड भरवायेंगी,
  - एम0सी0टी0एस0 नं0 अंकित करवायेंगी,
  - उसे ब्लाक/जिला स्तरीय चिकित्सालय पर नियमित रूप से दिखाने ले जायेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि उसका संस्थागत प्रसव ही हो।
  - इस गर्भवती की सुरक्षित प्रसव तक की सभी सूचनायें एम0सी0टी0एस0 पर अंकित करवायेगी।

तो आशा को **रू0–300.00 प्रति लाभार्थी की प्रोत्साहन धनराशि** प्राप्त होगी जो कि जे0एस0वाई के प्रोत्साहन धनराशि के अतिरिक्त होगी और प्रायवेट संस्था में सुरक्षित प्रसव करवाने पर भी देय होगी। इस मद में एक वर्ष में एक आशा को अधिकतम रू0–900.00 तक की धनराशि देय होगी।

आशा का उत्तरदायित्व होगा कि ए0एन0एम0 के सहयोग से जटिलता वाली गर्भवती महिला के परिवार को जटिलता का प्रकार एवं उससे होने वाले खतरे के लक्षणों के विषय में विस्तार से समझायेगी और उनके साथ सुरक्षित संस्थागत प्रसव की योजना बनाकर उसपर अमल करेगी।

4. कार्यक्रम क्रियान्वयन–

- इस कार्यक्रम के लिये अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0 / आर0सी0एच0 ही नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- सभी स्वास्थ्य इकाई प्रभारियों को हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप सम्बन्धी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाये एवं एक रणनीति विकसित की जाये। हाई रिस्क प्रेगनेन्सी (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) के चिन्हीकरण के लिये शीघ्र पंजीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया जाये।
- इसके लिये प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर सभी ब्लॉक प्रभारियों एवं चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिकाओं की एक बैठक कर "हाई रिस्क प्रेगनेन्सी" (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप" विषय पर चर्चा की जाये। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक पर भी एक बैठक कर इस विषय पर चर्चा की जाय जिससे वे कार्यक्रम का अनुश्रवण कर सकें।
- ब्लॉक स्तरीय बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ बी0पी0एम0 व एच0ई0ओ0 सभी ए0एन0एम0 / एच0वी0 को "हाई रिस्क प्रेगनेन्सी" (उच्च खतरे वाली गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप" के विषय में विस्तार से बतायें तथा क्वालिटी ए0एन0सी0 के अवयव व महत्ता पर प्रकाश डालें। एम0सी0टी0एस0 व एच0एम0आई0एस0 में सूचनाओं के अंकन पर भी ज्ञानवर्धन करें।
- मुख्य चिकित्साधिकरी जनपद की सभी चिकित्सा इकाइयों पर स्पष्ट निर्देश प्रेषित करें कि उच्च खतरे वाली गर्भवती महिला को उपचार हेतु लगी हुई कतार में न खड़ा रहने दें, वरन उस गर्भवती महिला को विशेष महत्व देते हुये उसे जाँच एवं उपचार तुरन्त उपलब्ध करवाया जाये। सम्भव हो तो एक पृथक से हाई रिस्क क्लीनिक भी बनायी जा सकती है।
- हाई रिस्क (उच्च खतरे वाली वाली गर्भावस्था) गर्भवती महिलाओं की सूचना एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर में "कॉम्प्लीकेशन इन प्रेगनेन्सी" वाले कॉलम में नियमित रूप से अंकित किया जाये एवं इसका नियमित अनुश्रवण भी किया जाये।
- प्रत्येक जनपद की सभी इकाइयों पर यह प्रोटोकॉल भी प्रदर्शित किया जाये कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के उपचार की सुविधा किन चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध है। इससे ए0एन0एम0 अथवा आशाओं को उचित इकाई पर सन्दर्भन में सुविधा होगी।
- प्रत्येक माह चिकित्सा इकाई के प्रभारी, ब्लॉक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी द्वारा नयी चिन्हीकृत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विस्तृत सूचना एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव के एम0सी0टी0एस0 पर अंकन का अनुश्रवण करेंगे। अपने जनपद / ब्लॉक में संभावित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या (कुल गर्भवती महिलाओं का 5–10 प्रतिशत) का आंकलन कर, उसके सापेक्ष कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
- सभी प्रोत्साहन धनराशियों का आवंटन एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अंकन का साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने पर ही देय होगा। ब्लाक स्तर पर एम0सी0टी0एस0 प्रभारी द्वारा यह साक्ष्य सत्यापित किया जायेगा।

5. वित्तीय व्यवस्था–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव पूर्व देखभाल एवं एच0आर0पी0 महिलाओं का प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है–

- भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) के चिन्हीकरण, लाइन लिस्टिंग एवं एम0सी0टी0एस0 में अंकन हेतु ए0एन0एम0 को रू0 200.00 प्रति चिन्हित केस की दर से 3.00 लाख जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) के चिन्हीकरण, लाइन लिस्टिंग एवं एम0सी0टी0एस0 में अंकन हेतु एफ0एम0आर0 कोड– A.1.5.8 में रू0–600.00 लाख जनपदों को आबंटन हेतु स्वीकृत की गयी है। जिसमें से 50 प्रतिशत रू0–300.00 लाख जनपदों को आबंटित की जा रही है। यह प्रोत्साहन धनराशि ए0एन0एम0 को

24 अगस्त 2016 से देय होगी और वर्तमान में चिन्हित ऐसी एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं पर देय होगी जिनका प्रसव अभी नहीं हुआ है। पूर्व से पंजीकृत गर्भवती महिलायें जिनमें कोई जटिलता का चिन्ह पाया जाये और एम0सी0टी0एस0 पर अंकन हो जाये तो ए0एन0एम0 को यह प्रोत्साहन धनराशि देय होगी। कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में लगभग 5 से 10 प्रतिशत के एच0आर0पी0 होने की सम्भावना होती है।

- इसी प्रकार चिन्हित जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) की लाइन लिस्टिंग, चार ए0एन0सी0 चेकअप एवं संस्थागत प्रसव तक के फालोअप हेतु रू0 300.00 प्रति चिन्हित केस की दर से एफ0एम0आर0 कोड– A.1.5.9 में रू0–900.00 लाख जनपदों को आबंटन हेतु स्वीकृत है जिसमें से 50 प्रतिशत रू0–450.00 लाख जनपदों को आबंटित की जा रही है। यह धनराशि आशाओं को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर प्रसव तक की आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित करने पर अधिकतम 3 केसों तक ही देय होगी।यह प्रोत्साहन धनराशि आशा को 24 अगस्त 2016 से देय होगी और एम0सी0टी0एस0 पर अंकित एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं के इस तिथि के पश्चात हुए संस्थागत प्रसव के पश्चात अनुमन्य होगी। एक आशा को एक वर्ष में अधिकतम रू0–900.00 तक की ही धनराशि देय होगी।

इन प्रयासों से राज्य में एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित संस्थागत प्रसवों सुनिश्चित कर प्रतिवर्ष हो रही मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले में हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण, उपचार एवं फालोअप से सम्बन्धित जानकारी जिले के सभी चिकित्साकर्मियों को देना सुनिश्चित करायें एवं इस कार्यक्रम पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0/आर0सी0एच0 इस कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत उपर्युक्तानुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

भवदीय,

5/9.

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/आउटरीच/122/2016–17/5111-2-10 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेश, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
6. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10. गार्ड फाईल।

(डॉ0 नीरा जैन)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

Incentives for ASHA & ANMs for management of HRPs

S.NO.	Districts	Total Expected ANC in 2016-18	Total expected HRPs in the year (10%)	Total HRPs expected to be identified in the year by ANMs/ASHAs	Total release of Incentives @ Rs 300.00 for ASHAs in lakh Rs. For 50% HRPs	Total release of Incentives @ Rs 200.00 for ANMs in lakh Rs. For 50% HRPs	Total in lakh R
1	2	3	4	5	6	7	
					A.1.5.9	A.1.5.8	
1	Agra	131423	13142	6322	9.48300	6.32200	15.8050
2	Aligarh	122792	12279	5907	8.86050	5.90700	14.7675
3	Allahabad	190650	19065	9170	13.75500	9.17000	22.9250
4	Ambedkar Nagar	72148	7215	3470	5.20500	3.47000	8.6750
5	Amethi	60922	6092	.2930	4.39500	2.93000	7.3250
6	Amroha	61226	6123	2945	4.41750	2.94500	7.3625
7	Auriya	40262	4026	1937	2.90550	1.93700	4.8425
8	Azamgarh	134482	13448	6469	9.70350	6.46900	16.1725
9	Badaun	119208	11920	5734	8.60100	5.73400	14.3350
10	Baghpat	34614	3460	1665	2.49750	1.66500	4.1625
11	Bahraich	145054	14505	6977	10.46550	6.97700	17.4425
12	Ballia	93289	9329	4487	6.73050	4.48700	11.2175
13	Balrampur	99076	9908	4766	7.14900	4.76600	11.9150
14	Banda	61303	6130	2949	4.42350	2.94900	7.3725
15	Barabanki	104282	10428	5016	7.52400	5.01600	12.5400
16	Bareilly	147082	14708	7075	10.61250	7.07500	17.6875
17	Basti	81527	8153	3922	5.88300	3.92200	9.8050
18	Bijnor	108087	10809	5199	7.79850	5.19900	12.9975
19	Bulandshair	112035	11204	5389	8.08350	5.38900	13.4725
20	Chandauli	62035	6204	2984	4.47600	2.98400	7.4600
21	Chitrakoot	30903	3090	1486	2.22900	1.48600	3.7150
22	Deoria	96131	9613	4624	6.93600	4.62400	11.5600
23	Etah	59460	5946	2860	4.29000	2.86000	7.1500
24	Etawah	43568	4357	2096	3.14400	2.09600	5.2400
25	Faizabad	75455	7546	3630	5.44500	3.63000	9.0750
26	Farrukhabad	60868	6087	2928	4.39200	2.92800	7.3200
27	Fatehpur	73433	7343	3532	5.29800	3.53200	8.8300
28	Firozabad	79583	7958	3828	5.74200	3.82800	9.5700
29	GB Nagar	59112	5910	2843	4.26450	2.84300	7.1075
30	Ghaziabad	97244	9724	4678	7.01700	4.67800	11.6950
31	Ghazipur	104634	10463	5033	7.54950	5.03300	12.5825
32	Gonda	119147	11915	5731	8.59650	5.73100	14.3275
33	Gorakhpur	131947	13195	6347	9.52050	6.34700	15.8675
34	Hamirpur	30634	3063	1474	2.21100	1.47400	3.6850
35	Hapur	42686	4269	2053	3.07950	2.05300	5.1325
36	Hardoi	139879	13988	6728	10.09200	6.72800	16.8200
37	Hathras	45227	4523	2176	3.26400	2.17600	5.4400
38	Jalaun	45571	4557	2192	3.28800	2.19200	5.4800
39	Jaunpur	121143	12114	5827	8.74050	5.82700	14.5675
40	Jhansi	45617	4562	2194	3.29100	2.19400	5.4850
41	Kannuj	48121	4812	2315	3.47250	2.31500	5.7875
42	Kanpur Dehat	42106	4210	2025	3.03750	2.02500	5.0625
43	Kanpur Nagar	92349	9235	4442	6.66300	4.44200	11.1050
44	Kasganj	48847	4885	2350	3.52500	2.35000	5.8750
45	Kaushambi	59166	5917	2846	4.26900	2.84600	7.1150
46	Kheri	137287	13729	6604	9.90600	6.60400	16.5100

S.NO.	Districts	Total Expected ANC in 2016-18	Total expected HRPs in the year (10%)	Total HRPs expected to be identified in the year by ANMs/ASHAs	Total release of Incentives @ Rs 300.00 for ASHAs in lakh Rs. For 50% HRPs	Total release of Incentives @ Rs 200.00 for ANMs in lakh Rs. For 50% HRPs	Total in lakh R
1	2	3	4	5	6	7	
					A.1.5.9	A.1.5.8	
47	Kushinagar	132436	13244	6370	9.55500	6.37000	15.9250
48	Lalitpur	41848	4185	2013	3.01950	2.01300	5.0325
49	Lucknow	108419	10842	5215	7.82250	5.21500	13.0375
50	Maharajganj	95197	9520	4579	6.86850	4.57900	11.4475
51	Mahoba	26122	2612	1257	1.88550	1.25700	3.1425
52	Mainpuri	53328	5333	2565	3.84750	2.56500	6.4125
53	Mathura	72776	7278	3500	5.25000	3.50000	8.7500
54	Mau	58143	5814	2797	4.19550	2.79700	6.9925
55	Merrut	101312	10131	4873	7.30950	4.87300	12.1825
56	Mirzapur	67298	6730	3237	4.85550	3.23700	8.0925
57	Moradabad	101637	10164	4889	7.33350	4.88900	12.2225
58	Muzaffer Nager	79531	7953	3826	5.73900	3.82600	9.5650
59	Pilibhit	63968	6397	3077	4.61550	3.07700	7.6925
60	Pratapgarh	94226	9423	4532	6.79800	4.53200	11.3300
61	Raebareli	67173	6717	3230	4.84500	3.23000	8.0750
62	Rampur	73899	7390	3555	5.33250	3.55500	8.8875
63	Saharanpur	112795	11280	5426	8.13900	5.42600	13.5650
64	Sambhal	76958	7696	3702	5.55300	3.70200	9.2550
65	Sant Kabir Nagar	64946	6495	3124	4.68600	3.12400	7.8100
66	Shajahanpur	107029	10703	5148	7.72200	5.14800	12.8700
67	Shamli	40381	4038	1942	2.91300	1.94200	4.8550
68	Shrawasti	59186	5919	2847	4.27050	2.84700	7.1175
69	Sidharth Nagar	123074	12307	5920	8.88000	5.92000	14.8000
70	Sitapur	159063	15906	7650	11.47500	7.65000	19.1250
71	Sonbhadra	66174	6617	3183	4.77450	3.18300	7.9575
72	SRN - Bhadohi	45895	4590	2208	3.31200	2.20800	5.5200
73	Sultanpur	66384	6638	3193	4.78950	3.19300	7.9825
74	Unnao	79418	7942	3820	5.73000	3.82000	9.5500
75	Varanasi	86619	8662	4167	6.25050	4.16700	10.4175
	Total	6236850	623685	300000	450	300	750.0000